आवक/जावक (प्रशासन) क्र. 815 दिनांक 13/10/2020

आवक/जावक (प्रशासन) क्र. 637 दिनांक 13/10/2020

आवक/जावक (प्रशासन) क्र. 9079 दिनांक 07/11/2020

आवक/जावक (परीक्षा) क्र. 2096 दिनांक 7/11/2020

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांकः 884/726/आउशि/शा–1/2020, भोपाल, दिनांक 7/10/20

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्य प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
   शासकीय महाविद्यालय,
   मध्य प्रदेश।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अर्फोडेबल रेंटल हाऊसिंग काम्पलेक्स योजना के संबंध में।

सन्दर्भः–अवर सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय शाखा–2 से प्राप्त पत्र कमांक 755/869/2020/38–2 भोपाल दिनांक 14.08.2020.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्राप्त पत्र एवं सहपत्रों की छायाप्रतियॉ आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त पत्र में दिये निर्देशानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से सर्वसंबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार,

(अपर आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

K. Shrivastava 6/10/2020

(कल्पना श्रीवास्तव)
सहायक संचालक
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांकः 885/726/आउशि/शा–1/2020, भोपाल, दिनांक 7/10/20

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय शाखा–2 से प्राप्त पत्र कमांक 755/869/2020/38–2 भोपाल दिनांक 14.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।

K. Shrivastava 6/10/2020

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

492
18-8-2020

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462002

क्रमांक/ 759 /869/2020/38-2

भोपाल, दिनांक 14 / 8/2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा
भोपाल।

पृ.क्र. 726/आ-1/20
24-8-20

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स योजना के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक [illegible]59/नीमा [illegible]020 [illegible] 1 [illegible] 7/2020 मूलतः संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही [illegible] कार्यवाही से संबंधित पत्र इस विभाग को अवगत कराने का [illegible]

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

13-8-2020
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय
आयुक्त उच्च शिक्षा
18 AUG 2020
OSD (आ-1)
आयुक्त

363/20/3A-1
5-8-20

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 7759/PS/2020/18-1 भोपाल, दिनांक 29/07/20

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत (ARHCs) अर्फोडेबल रेंटल हाऊसिंग काम्पलेक्स योजना के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों को किराये पर आवास उपलब्ध कराने हेतु अर्फोडेबल रेंटल हाऊसिंग काम्पलेक्स योजना **"आत्मनिर्भर भारत अभियान"** अंतर्गत प्रारंभ की गई है। योजना में हितग्राहियों के रूप में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के प्रवासी श्रमिक/शहरी गरीब जिनमें पथविक्रेता, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता, औद्योगिक कर्मचारी तथा ऐसे प्रवासी कर्मचारी जो मार्केट/ट्रेड संगठनों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थाऐं, सत्कार क्षेत्र, दीर्घकालीन पर्यटक/विजिटर, विद्यार्थी तथा अन्य वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे।

योजना को दो प्रादर्श में विभक्त किया गया है, जिसके द्वितीय प्रादर्श के अनुसार औद्योगिक श्रमिको, संस्थागत कर्मचारियों, दीर्घकालिक पर्यटको, शैक्षणिक उद्देश्य हेतु विद्यार्थियों तथा प्रवासी श्रमिको इत्यादि हेतु किराये पर आवास उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित की गई है। योजनांतर्गत पब्लिक/प्रायवेट Entity के द्वारा उनके स्वत्व की भूमि पर किराये पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय परिसरों का निर्माण किया जायेगा तथा ऐसे परिसरों को उक्त दर्शाये गये हितग्राहियों को आवंटित किया जायेगा। योजना की ऑपरेशनल गाइडलाईन तथा ड्राफ्ट EOI पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें योजना के कियान्वयन की प्रकिया संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश दर्शित हैं।

उक्त महत्वपूर्ण उद्देश्य के सार्थक कियान्वयन हेतु अपेक्षित है कि, आपके विभाग के अंतर्गत समस्त विश्व विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को इस योजना की जानकारी से सूचित करें, जिससे शैक्षणिक उद्देश्य हेतु, आने वाले विद्यार्थियों को योजना की गाइडलाईन के अनुसार लाभ देने के लिए वे अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स का निर्माण तथा संधारण कर सके। यह भी उल्लेखनीय है कि, निर्माणकर्ता एजेंसी को गाइडलाईनों के प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे, तथा विद्यार्थियों को उनके अस्थायी रहवास हेतु सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः इस संबंध में कृपया आपके अधिनस्थ समस्त विश्व विद्यालयों/महा विद्यालयों को इस महत्वपूर्ण योजना से अवगत कराने का कष्ट करें, तथा योजना के कियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश संबंधितो को प्रदान करें। यह भी अपेक्षित है कि, योजना के कियान्वयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संलग्नः– उपरोक्तानुसार)

(हस्ताक्षर)
(नीतेश व्यास)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

938
30.7.20

OSD (DRD)

USHE I

SO (2)

06/8/2020